Validity period of TET qualifying certificate

*348. SHRI KAMAKHYA PRASAD TASA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether the validity period of Teachers Eligibility Test (TET) qualifying certificate is decided the appropriate Government subject to a maximum of seven years for all categories;

(b) whether, after the expiry of seven years, the qualifying candidates have to take new TET examination;

(c) whether Government proposes to do away with the validity period of the TET qualifying certificate; and

(d) if not, the reasons why such a discriminatory provision of validity of seven years for TET qualifying candidates is maintained?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI RAMESH POKHRIYAL 'NISHANK'): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) Yes Sir, As per Section 23(1) of the Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009, National Council for Teacher Education (NCTE) has been notified as an academic authority to lay down minimum qualifications for appointment as a teacher. Accordingly, NCTE has issued guidelines for conduct of Teacher Eligibility Test (TET). As per the guidelines, 'the appropriate Government should conduct a TET at least once every year. The Validity Period of TET qualifying certificate for appointment will be decided by the appropriate Government subject to a maximum of seven years for all categories'.

(c) and (d) A proposal to revise TET guidelines has been received from NCTE.

श्री कामाख्या प्रसाद तासा (असम): डिप्टी चेयरमैन सर, मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक विद्यार्थी, एक पेड़, जल संरक्षण इत्यादि जैसे कार्यक्रमों से वे कम दिनों में ही एचआरडी मिनिस्ट्री को एक नया रूप देने की चेष्टा कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने अपने आंसर में बताया है कि TET qualifying teachers के लिए NCTE ने seven years का एक period दिया है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो टीचर्स एक बार TET qualify कर लेते हैं, जैसे health

में continuing education policy हैं, वैसे ही क्या उन लोगों को terminate न करके उन लोगों का gradation करने की व्यवस्था करने का कोई विचार है?

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक': श्रीमन्, जब वर्ष 2009 में "सबके लिए शिक्षा अधिकार अधिनियम" शुरू हुआ था, तब उस समय यह प्रश्न उठा था कि अध्यापकों की पात्रता को कौन निश्चित करेगा? तब NCTE को इस बात के लिए अधिकृत किया गया था कि वह अध्यापकों की पात्रता सुनिश्चित करेगा। उसी ऐक्ट के तहत NCTE ने TET शुरू किया था, जिसमें यह व्यवस्था है कि TET उत्तीर्ण होने के बाद इसकी वैधता सात वर्ष तक होगी। इसकी वैधता सात वर्ष के आगे इसलिए नही रखी गयी, क्योंकि पाठ्यक्रमों में नित्य नए परिवर्तन होते हैं और एक अध्यापक, जिसको एक पीढ़ी को तैयार करना है, उसको निश्चित रूप से नई-नई जानकारियाँ होनी चाहिए। इसलिए सात वर्ष के बाद उसको दोबारा यह परीक्षा देकर अध्यापक के रूप में अपनी पात्रता सिद्ध करनी पड़ेगी।

श्री उपसभापति: दूसरा सवाल।

श्री कामाख्या प्रसाद तासा: सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि उन्होंने चार वर्ष के लिए एकीकृत बीएड पॉलिसी की व्यवस्था के बारे में जो सोचा है, वह कब तक लागू होगी? उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ या नही, इसके बारे में मंत्री जी कृपा कर बताएँ।

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक': श्रीमन्, यहाँ यह बात बार-बार आई है कि बच्चों के लिए शुरू से ही यह सुनिश्चित किया जाए कि उनकी दिशा क्या है। विशेषकर अध्यापक, जो निर्माण की दिशा में आधारशिला रखता है, यदि उसकी दिशा पहले से ही तय है कि उसको अध्यापक बनना है, तो उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने यह सुनिश्चित किया है कि एक चार-वर्षीय पाठ्यक्रम होगा। जब वह इंटर पास करने के बाद बीएससी-बीएड, बीकॉम-बीएड या बीए-बीएड करेगा, तो उसके पास एक वर्ष और बचेगा, इसीलिए चार वर्ष का यह पाठ्यक्रम सुनिश्चित किया गया है और इसके लिए अधिसूचना जारी हो गई है। इसके लिए प्रार्थना-पत्र भी आमंत्रित किए गए हैं। जो-जो संस्थाएँ इस दिशा में आगे आती हैं, उनका पाठ्यक्रम भी तय हो गया है और जब ये संस्थाएँ अपना आवेदन करेंगी, तब यह पाठ्यक्रम आगामी वर्ष से शुरू भी हो जाएगा।

SHRI RIPUN BORA (Assam): Sir, like Assam, in all the States of the country, thousands and thousands of TET teachers are working. Their posts were advertised as Government posts in provincialised schools but after qualifying TET, they have been engaged as contractual teachers. So, I would like to know from the hon. Minister whether the Government of India, through the Ministry of Human Resource Development, is planning to regularise these TET teachers who are working under the contract system.

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक': श्रीमन्, जब यह ऐक्ट आया था, तो उसमें बहुत स्पष्ट था कि राज्यों में जो भी शिक्षक प्रशिक्षित नही हैं, उन सभी को किसी भी स्थिति में 30 अक्टूबर, 2015

[श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक']

तक प्रशिक्षित कर देना पड़ेगा। इस अभियान में लगभग 7 लाख अध्यापक प्रशिक्षित हुए, लेकिन अभी भी उनकी एक बहुत बड़ी संख्या है, जो प्रशिक्षित नहीं हैं। इसलिए इस ऐक्ट में संशोधन करके उनको हम फिर एक बार मौका दे रहे हैं कि जिन राज्यों ने उन अध्यापकों को अभी तक प्रशिक्षित नहीं किया है, जो पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन प्रशिक्षित नहीं हैं, उनके लिए यह समय-सीमा आगामी चार वर्षों के लिए, यानी 31 अक्टूबर, 2019 तक के लिए बढ़ा दी गई, लेकिन यह अनिवार्य है कि उनको प्रशिक्षण तो प्राप्त करना ही होगा।

श्री नारायण लाल पंचारिया: श्रीमान जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूँगा कि वर्तमान में शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थानों की कुल संख्या कितनी है और पाठ्यक्रमों की कुल संख्या कितनी है?

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक': श्रीमन, अभी शिक्षक शिक्षण संस्थाओं की संख्या 19,542 हैं, इनमें हमारे 25,826 पाठ्यक्रम हैं और इनमें लगभग 15 लाख छात्र शिक्षित हो रहे हैं।

श्रीमती कहकशां परवीन: उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि अध्यापक पात्रता परीक्षा में पास होने हेतु न्यूनतम अंक में रियायत देने के संबंध में बिहार सरकार ने दो पत्र लिखे हैं, क्या उन प्राप्त पत्रों पर विचार किया जा रहा है?, चूंकि वहां पर उर्दू शिक्षकों की काफी कमी है।

†**محترم کہکشاں پروین :** اپ سبھا پتی مہودے، میں آپ کے مادھیم سے مانئے منتری جی سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ادھیاپک پاترتا پریکشا میں پاس ہونے ہیتو نیونتم انک میں رعایت دینے کے سمبندھ میں بہار سرکار نے دو پتر لکھے ہیں، کیا ان پراپت پتروں پر وچار کیا جا رہا ہے؟ چونکہ وہاں پر اردو شکشکوں کی کافی کمی ہے۔

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक': श्रीमन, इस परीक्षा में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने ही होंगे, उन्हीं को ये पात्रता मिलेगी और जो इस वर्ष 60 प्रतिशत अंक प्राप्त नहीं कर सके हैं, वे अनवरत, जब तक प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक उनको परीक्षा देनी होगी।

Vacancies in Central Government

*349. SHRI K. C. RAMAMURTHY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the number of vacancies which arose due to retirement, resignation, etc. in various departments of Central Government since May, 2014 till 1st July, 2019, year-wise, department-wise and group-wise;

(b) the number of vacancies filled out of the above during the above period, year-wise, department-wise and group-wise;

†Transliteration in Urdu Script.